2011

गरीबी की रेखा का प्रायोगिक सर्वेक्षण

# मध्यप्रदेश में गरीबी की रेखा पहचान प्रक्रिया–2011 पर स्वैच्छिक संगठनों की साझा पहल

सहयोगी समूह

समाज चेतना अधिकार मंच (रीवा), बिरसा मुंडा भू अधिकार मंच (रीवा), आदिवासी अधिकार मंच (सतना), खेडूत मजदूर चेतना संगठ (अलीराजपुर), ग्रामीण विकास समिति (दमोह), जनसाहस संस्था (देवास), विकल्प समाजसेवी संस्था (मण्डला), निर्माण (मंडला), टुवर्डस् एक्शन एंड लर्निंग – ताल (धार) हार्ड (अनूपपुर), ग्राम सुधार समिति (सीधी), सोपान (सिवनी), संपर्क (झाबुआ), स्पंदन (खंडवा), मध्यप्रदेश लोकसंघर्ष साझा मंच और विकास संवाद

# भारत में गरीबी की पहचान

भारत में सरकार ने वर्ष 1992 के बाद से यह परंपरा बनायी है कि देश में हर 5 सालों में गरीबी के स्तर का आंकलन हो और उस आंकलन के आधार पर गाँव और शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों की पहचान की जाए। इसी नीति के तहत सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर, बिना राज्य सरकारों की सहमति के तय किया है कि देश के ग्रामीण इलाकों में 41.8 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 25.7 प्रतिशत लोग गरीब हैं।

गाँव में उन परिवारों को गरीब माना जाता है जिनमे एक व्यक्ति पर एक दिन में 15 रूपए से कम खर्च किये जाते हैं। शहर में उन परिवारों को गरीब माना जाता है जिनमे एक व्यक्ति पर 20 रूपए से कम खर्च किये जाते हैं। हालांकि अब यह साफ है कि सरकार कम से कम गरीबी का स्तर बता कर वंचित तबकों और गरीबी से जूझ रहे परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को घटा सके और यह सिद्ध कर सके कि उसकी विकास की नीतियां सही हैं।

पिछले एक दशक से इस मसले पर बहस जारी है। और इसी बहस के बीच में सरकार ने देश में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की प्रक्रिया शुरू की है। इसका एक मकसद है गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना।

गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के सर्वेक्षण के लिए सूचक, प्रारूप और सर्वेक्षण विधि सामने रख दी गए है. इन तीनों ही स्तरों पर यह नजर आ रहा है कि बहुत से वंचित और गरीब परिवार सूची से बेदखल होने वाले हैं। हमें इसका परीक्षण करना था।

12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों की गणना (बीपीएल जनगणना) का प्रस्ताव है, जिसे कैबिनेट की

मंजूरी मिलनी है। इस प्रस्ताव को डॉ.एन.सी.सक्सेना के द्वारा सुझाए गए तरीके के आधार पर तैयार किया गया है और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पायलट सर्वे के नतीजों के आधार पर इसे और परिष्कृत किया गया है।

बीपीएल जनगणना का कार्य जातिगत जनगणना के साथ ही भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा और शहरी बीपीएल परिवारों की जनगणना का कार्य आवास और शहरी गरीबी उपद्दामन मंत्रालय द्वारा करने का सुझाव दिया गया था।
संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बी.पी.एल. जनगणना का संचालन किया जाएगा। इस जनगणना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अंत तक पूरी किया जाना प्रस्तावित है।

## यूं समझें प्रकिया और परिणामों को!

परिवारों का वर्गीकरण तीन चरणों में किया जाएगा।

1. **पहला चरण :** ऐसे परिवार जो गरीब नहीं हैं उनका स्वत: बहिष्करण यानी वे अपने आप गरीबी रेखा सूची से बाहर हो जाएंगे।

   सरकार द्वारा पहले से यह तय किया जा चुका है कि मध्यप्रदेश में 53.6 ग्रामीण परिवार गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अत: इस सर्वेक्षण का मकसद कुल ग्रामीण परिवारों में से 53.6 प्रतिशत ऐसे परिवारों का चयन और उनकी पहचान करना है, जिन्हें मिला कर गरीबी की रेखा की सूची बनाई जा सके। हमने यह माना है कि 13 जिलों के 24 गाँव के 2621 परिवारों में से 1404 परिवार ही गरीबी की रेखा की सूची ने शामिल हो पायेंगे।

   गरीबी की पहचान के इस पहले चरण के तहत हमारे द्वारा सर्वेक्षित 2621 परिवारों में से 561 परिवार बाहर हो गए।

2. **दूसरा चरण :** अनिवार्य रूप से गरीबी रेखा सूची में शामिल किया जाना।

सर्वेक्षण के पहले चरण में बहिष्कार के सूचकों के आधार पर बाहर हुए परिवारों (561) को घटाने के बाद दूसरे चरण (स्वतः समावेश सूचक) के लिए 2060 परिवार बचे. इन 2060 परिवारों में से स्वतः समावेश सूचकों के आधार पर 352 परिवार पात्र पाए गए और गरीबी की रेखा की सूची में आये. हम यह बताना चाहेंगे कि पहले चरण में 133 ऐसे परिवार भी बाहर हो गए, जिन पर समावेश के सूचक लागू होते हैं, यानि वे गरीब हैं परन्तु बाहर कर दिए गए। इसका अर्थ यह भी है कि सर्वेक्षण के तीसरे चरण के लिए 1708 परिवार शेष रहे. और 352 परिवारों के गरीबी की रेखा की सूची में आ जाने के बाद 1052 परिवारों का और चयन किया जाना बाकी रह जाता है।

3. **तीसरा चरण :** शेष बचे हुए परिवारों की रैंकिंग अभाव सूचकों की संख्या के आधार पर की जाएगी और इनमें से गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाएगा।

स्वतः बहिष्करण और अनिवार्य समावेक्ष के बाद शेष बचे परिवारों की रैंकिंग अभाव सूचकों के आधार पर की जाएगी। जिन परिवारों के ज्यादा अंक होंगे उन्हें गरीबी रेखा सूची में शामिल किया जाएगा। निम्नलिखित अभाव सूचकों के आधार पर परिवारों को गरीबी रेखा सूची में शामिल किया जाएगा।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही भारत सरकार ने चयन की प्रक्रिया में तीसरा चरण तय किया है. इस चरण के तहत सरकार ने वंचितपन के 7 सूचक तय किये हैं. यहाँ यह देख जाएगा कि सबसे ज्यादा वंचित कौन है. पहले और दूसरे चरण के बाद बचने वाले परिवारों में से वंचितपन के सूचकों के आधार पर यह काम किया जाना हैं. इस चरण में हमारे अध्ययन के तहत 1708 परिवार पंहुचे. और इनमे से लगभग 1052 परिवारों का चयन किया जाना है. हमने पाया कि सरकार द्वारा तय 7 सूचकों में से 3 या उससे अधिक सूचक पर खरे उतरने वाले लोगों की संख्या 1052 होगी।

**हमारे अध्ययन के मुताबिक 288 परिवार एकल महिला परिवार, विकलांगता, गंभीर और स्थाई बीमारी, आजीविका के साधनों से**

प्राप्त होने वाली सुरक्षा के अव्यावहारिक आंकलन, दो पहिया वाहन, क्रेडिट कार्ड के मापदंडों के कारण गरीबी की रेखा की सूची से सीधे बाहर हो गए। यह वे परिवार हैं, जिन्हें अनिवार्यतः गरीबी की सूची में आना चाहिए।

यदि हम 2.5 एकड़ सिंचित जमीन का मापदंड लें, तो पता चलता है कि इसके चलते 561 में से 263 परिवार बाहर धकेले जा रहे हैं। इनमे से 67 परिवार तो गरीबी में माने ही जाने चाहिए।

इस तरह कुल 355 लोग यानि 13.54 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा की सूची से वंचित होंगे।

इसका मतलब यह है तीनों ही चरणों में सूचकों के निर्धारण में विसंगति है और इन्हें हाशिये पर जी रहे लोगों के पक्ष की नीति नहीं माना जा सकता है।

# गरीबी की रेखा का सर्वेक्षण – प्रायोगिक सर्वेक्षण के बारे में

- मध्य प्रदेश में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तय की गयी सर्वेक्षण और पहचान प्रक्रिया के आधार पर राज्य की स्वेच्छिक संस्थाओं के समूह ने एक मंच का गठन किया, जिसका नाम है ***गरीबी की रेखा पहचान प्रक्रिया–2011 पर स्वेच्छिक संगठनों की साझा पहल***।

- इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 13 जिलों के 24 गाँवों में भारत सरकार द्वारा तय की गयी प्रक्रिया को आधार बना कर एक सर्वेक्षण कर यह जानने की कोशिश की गयी कि, इस प्रक्रिया या सर्वेक्षण पद्धति को लागू करने के क्या प्रभाव पड़ेंगे।

- इस समूह ने 8 अगस्त 2011 से 25 अगस्त 2011 तक गाँव के स्तर पर यह सर्वेक्षण किया।

- इस सर्वेक्षण में 24 गाँव के 2621 परिवारों को शामिल किया गया। इस सर्वे में चयनित गाँवों के सभी परिवारों की शामिल किया गया है।

- एक गाँव में औसतन 109 परिवार थे।

- अध्ययन तकनीक के तहत सरकार द्वारा घोषित सर्वेक्षण प्रारूप, निर्देशिका और सूचकों का उपयोग किया गया है।

# ऐसे किया गया मॉक सर्वे

- मॉक सर्वे के लिए 13 जिलों के 24 गांवों में सभी परिवारों को शामिल किया गया। ये जिले हैं अलीराजपुर, अनूपपुर, दमोह, देवास, धार, डिंडोरी, झाबुआ, खंडवा, मंडला, रीवा, सतना, सिवनी और सीधी।

- इन जिलों के 2621 परिवार मॉक सर्वे में शामिल हुए।

- सर्वे के लिए केंद्र सरकार के उसी फॉर्मेट का उपयोग किया गया, जो कि इस साल बीपीएल सर्वे में इस्तेमाल किया गया।

## व्यापक निष्कर्ष

- यह पता चल रहा है कि गरीबी की रेखा की सूची में आने के लिए लोगों को सरकार द्वारा तय 7 सूचकों में से 3 या उससे ज्यादा वंचितपन के सूचकों को हासिल करना होगा।

- 13 जिलों में हुए मॉक सर्वे में 561 परिवार हुए बीपीएल से बाहर। लगभग 21.5 प्रतिशत परिवार बहिष्कार के सूचकों के कारण पहले चरण में ही बाहर हो रहे हैं।

- बहिष्कार सूचकों के कारण बाहर हो जाने वाले 561 परिवारों में से 133 परिवार ऐसे हैं, जो स्वत: समावेश के सूचकों पर पात्र साबित होते हैं पर वे पहले चरण में ही बाहर हो गए। इनमे से ज्यादातर पिछड़ी आदिम जनजाति से जुड़े परिवार हैं. साथ ही 17 ऐसे परिवार मिले जिनके पास पुराना दो पहिया वाहन तो है, पर उनके आवास घांस-खप्पर के बने हुए हैं।

- 64 परिवार यानि 2.44 प्रतिशत परिवार ऐसे पाए गए, जो बहिर्ष्त नही हुए, यानि उनके पास जीवन की न्यूनतम सुविधाएं नहीं हैं। फिर वे समावेश के सूचकों में भी शामिल नहीं हुए और अंत में वंचितपन के सूचकों में से भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। सामान्य वर्ग से जुड़े इन लोगों के पास दुपहिया वाहन भी नहीं है, और 2 एकड़ जमीन है। वे भूमिहीन भी नहीं माने गए और बंधुआ भी नहीं हैं। उनके यहाँ वयस्क भी हैं। अध्ययनकर्ताओं ने माना कि ये परिवार हाशिये के परिवार हैं, पर विसंगतिपूर्ण प्रक्रिया के कारण गरीबी की रेखा से बाहर हो रहे हैं।

- वयस्कता की उम्र 16 वर्ष रखने के कारण 31 यानि 1.2 प्रतिशत परिवार गरीबी से बाहर होंगे, जबकि महिला मुखिया वाले परिवार के साथ 16 से 59 वर्ष की आयु के पुरुष की शर्त जोड़ने के कारण 49 यानि 1.86 प्रतिशत परिवार गरीब होने के बावजूद गरीबी की रेखा की सूची से बाहर हो रहे हैं।

- सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि किसान क्रेडिट कार्ड होने मात्र से छोटे किसानों की स्थिति नहीं सुधरती है। उनके लिए यह कर्ज तो बदहाली का सूचक है। लोगों ने बताया कि कर्ज उसके लिए उन्नति का सूचक है, जिनके पास उसे चुकाने की क्षमता है। 2.5 एकड़ वाले किसान के पास क्रेडिट कार्ड है, परन्तु उस कर्ज को चुकाने की क्षमता नहीं है. किसान क्रेडिट कार्ड की शर्त को 10 एकड़ या उससे अधिक की सिंचित जमीन के माप दंड के साथ जोड़ना चाहिए।

- गरीबों के लिए अभिश्शाप बनी इंदिरा आवास और किसान केडिट कार्ड योजना।

- 16 परिवार ऐसे हैं जिनमे विकलांग व्यक्ति है, परन्तु 60 वर्ष के सदस्य हैं और मजदूरी करके जीवनयापन करते हैं। हमें लगता है कि बहिष्कार के सूचकों को लागू करने के बाद 40 प्रतिशत से अधिक की विकलांगता को अनिवार्य समावेश की सूचकों में लिया जाना होगा।

## हमारे सुझाव

**1. हम मानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अनिवार्य समावेश की श्रेणी में लाया जाना चाहिए।**

2. महिला मुखिया वाले परिवार को भी अनिवार्य समावेश की श्रेणी में लाया जाना चाहिए।

3. किसान क्रेडिट कार्ड की शर्त को हटाया जाना चाहिए।

4. यह भी साफ़ पता चला कि स्थाई और सामाजिक, आजीविका–खाद्य असुरक्षा से सम्बंधित बीमारियों से पीढ़ित व्यक्तियों को इस सर्वेक्षण के सूचकों में कहीं कोई स्थान नहीं मिला है, जबकि वे सबसे गरीब की श्रेणी में आते हैं. हम मानते हैं, कि एचआईवी–एड्स, तपेदिक, सिलिकोसिस सरीखी बीमारियों को इसमें शामिल करना चाहिए।

5. जबकि लैंडलाइन फोन, 2.5 एकड़ जमीन, दो पहिया वाहन के सूचकों को बहिष्करण सूचकों की श्रेणी में से बाहर किया जाना चाहिए।

6. पिछड़ी आदिम जनजाति से जुड़े परिवारों को बहिष्कार सूचकों के प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिये।

7. हमें लगता है कि बहिष्कार के सूचकों को लागू करने के बाद 40 प्रतिशत से अधिक की विकलांगता को अनिवार्य समावेश की सूचकों में लिया जाना होगा।

# चरण आधारित मुख्य निष्कर्ष

## पहला चरण – बहिष्करण (कुल 13 सूचक)

- सरकार ने अपनी सर्वेक्षण व्यवस्था में यह तय किया है कि 13 बहिष्करण के सूचकों के तहत आने वाले परिवारों को पहले चरण में बाहर कर दिया जाएगा. हमने पाया कि 2621 परिवारों में से 561 परिवार इन सूचकों के आधार पर पहले ही बाहर हो जायंगे।

- लोग किन सूचकों के आधार पर बाहर हो रहे हैं, यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि कुल बहिर्ष्त 561 परिवारों में से 263 परिवार (42.69 प्रतिदृात) 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन और कम से कम एक सिंचाई उपकरण की उपलब्धता के कारण बाहर हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में पिछले 3 वर्षो में मनरेगा के तहत 12 लाख कुएं खुदवाए गए हैं और दूसरी योजना के तहत पम्पसेट दिए गए हैं। इन्हें सरकार से यह सुविधा मिली है पर जमीनी अध्ययन से पता चल रहा है वे अपनी जरूरत पूरी कर पाने असक्षम हैं, और भूख के साथ जी रहे हैं। यह माना जा सकता है कि यह सूचक लोगों के लिए एक अभिशाप साबित होगा।

- 136 (22 प्रतिदृात) परिवार 2,3,4 पहिया वाहन के कारण बहिर्ष्त हो रहे हैं। ज्यादातर लोग २ पहिया वाहन के कारण बाहर हुए हैं. संकट यह है कि 2 पहिया और चार पहिया वाहन को एक साथ समान महत्त्व दिया गया है. यह एक बड़ी विसंगति है।

- लैंड लाइन फोन के कारण 64 परिवार (11 प्रतिदृात) बाहर हो रहे हैं।

- 5 एकड़ जमीन और वर्ष में 2 फसलों की प्राप्ति के सूचक को लिया जाए तो 106 परिवार (17 प्रतिदृात) परिवार बहिर्ष्त होंगे और यदि 7.5 एकड़ जमीन के

साथ एक सिंचाई के साधन को लिया जाए तो 54 परिवार (9 प्रतिशत) लोग बाहर हो रहे हैं।

# दूसरा चरण – अनिवार्य समावेश (कुल 5 सूचक)

- सरकार ने तय किया है कि पहले चरण में बाहर होने के बाद जो लोग बचेंगे, उनमे से कुछ खास समूहों को अनिवार्यतः समावेश की श्रेणी में लेकर गरीबी की रेखा की सूची में शामिल कर लिया जाएगा. इसके लिए 5 सूचक तय किये गए हैं।

- हमने पहले चरण में बहिर्ष्त परिवारों को कुल परिवारों की संख्या में से घटा दिया, तब 2060 परिवार बचे। इनमे से ही अनिवार्य समावेश के लिए परिवारों की पहचान की गयी।

- हमने अपने सर्वेक्षण में पाया कि बहिष्करण के बाद शेष बचे 2060 परिवारों में से 352 परिवार (13.4 प्रतिक्ष्त) इस श्रेणी में आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा परिवार सीधी जिले से 69 परिवार और मण्डला जिले से 77 परिवार कुल 146 परिवारों के बैगा पिछड़ी आदिम जनजाति समूह से होने के कारण शामिल हुए हैं। यदि इन्हे हटा दिया जाये तो केवल 106 परिवार यानि 5.94 प्रतिक्ष्त प्रतिक्ष्त ही अनिवार्य समावेश की श्रेणी में आयेंगे।

- इसी तरह रीवा और देवास जिलों में क्रमक्ष: 58, 61 कुल 119 परिवार रहने को घर न होने के कारण समावेक्ष हुए हैं। इन परिवारों का समावेश इसलिए हुआ है क्यूंकि उनके पास आवास नहीं है. या ये परिवार पिछड़ी हुई आदिम जनजाति से सम्बंधित हैं. कुछ परिवार ऐसे हैं, जिन पर दोनों सूचक एक साथ लागू हो रहे हैं.

- मैला ढोने वाले परिवारों में 1 परिवार सीधी में और 1 परिवार दमोह में शामिल हुआ है। और कानूनी रूप से मुक्त कराये गए परिवारों की श्रेणी में 4 परिवार मंडला से, 1 दमोह से और 2 परिवार सीधी से शामिल हुए हैं।

# तीसरा चरण – वंचितपन के सूचकों का लागू होना
# (कुल 7 सूचक)

यह तय किया गया है कि पहले और दूसरे चरण के बाद बचे हुए परिवारों पर वंचितपन के सूचक लागू किये जायेंगे. इसके अंतर्गत कुल 7 सूचकों के आधार पर रैंकिग की जाएगी। रैंकिंग के लिए निम्न लिखित आधार तय किए गए हैं हर बिंदु के लिए 1 अंक तय किया गया है, जिस परिवार को इन अभाव सूचकों में जितने ज्यादा अंक प्राप्त होंगे उसके गरीबी रेखा सूची में शामिल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

1. ऐसा परिवार जिसके पास एक कमरे का मकान है जिसकी दीवारें और छत कच्ची है।
2. ऐसा परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
3. महिला मुखिया वाला परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई वयस्क पुरुष नहीं है।
4. ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य विकलांग है और परिवार में अन्य कोई शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है।
5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार।
6. ऐसा परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई वयस्क साक्षर सदस्य नहीं है।
7. भूमिहीन परिवार जिसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा आकस्मिक मजदूरी से आता है।

इस मान से पहले और दूसरे चरण के बाद हमारे सर्वेक्षण के तहत तीसरे चरण के लिए कुल 1708 परिवारों पर वंचितपन के सूचकों को लागू किया गया इसके तहत हमने पाया कि रैंकिग में परिवारों को निम्न प्रकार अंक प्राप्त हुए हैं।

**1. एक कमरे के कच्चे मकान मे निवास करने वाले परिवार–**

अभाव सूचकों में शामिल कुल 1708 परिवारों में से कुल 998 परिवार ऐसे हैं जो एक कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं। इनमें सबसे अधिक परिवार धार और रीवा जिले में अभाव सूचकों में शामिल 100 प्रतिक्ष्ात परिवार एक कमरे के कच्चे मकान में निवास करते हैं। जब कि देवास में 99 प्रतिक्ष्ात परिवार एवं झाबुआ में 97 प्रतिक्ष्ात परिवार एक कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं।

**2. परिवार में 16 से 59 वर्ष का कोई वयस्क सदस्य नहीं है–**

अभाव सूचकों में शामिल 1708 परिवारों में से कुल 201 परिवारों में 16 से 59 साल का कोई वयस्क सदस्य नहीं है। इनमें प्रमुख रूप से रीवा, देवास, दमोह और अनूपपुर ऐसे जिले हैं जहां अभाव सूचकांक में शामिल कुल परिवारों में से 25 से 35 प्रतिक्ष्ात परिवार इस सूचकांक के दायरे में शामिल पाए गए है। इन परिवारों में या तो बुजुर्ग सदस्य हैं या बच्चे हैं इनके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है।

**3. महिला मुखिया वाला परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई वयस्क पुरूष नहीं है–**

अभाव सूचकों में शामिल कुल 1708 परिवारों में से 83 महिला मुखिया वाले परिवार हैं, इनमें से अनूपपुर और देवास जिले में महिला मुखिया परिवारो की संख्या क्रमक्ष्ाः 13 एवं 12 प्रतिक्ष्ात पाई गई है।

**4. परिवार का कोई सदस्य विकलांग और परिवार में अन्य कोई सक्षम सदस्य न होना–**

अभाव सूचकों में शामिल कुल 1708 परिवारों में से कुल 61 परिवारों में परिवार का सदस्य या मुखिया विकलांग है और इन परिवारों में अन्य कोई सक्षम सदस्य नहीं है।

**5. अनुसूचित जाति /जनजाति के परिवार–**

अभाव सूचकों में शामिल अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों में 1708 परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं। इनमें अलीराजपुर एवं धार जिले में 100 प्रतिशत परिवार इस श्रेणी में शामिल हैं जबकि झाबुआ में 99 प्रतिशत, खण्डवा में 96 प्रतिशत और रीवा में 95 प्रतिशत और सिवनी में 89 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं।

**6. परिवार में 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई साक्षर सदस्य नहीं है–**

अभाव सूचकों में शामिल 1708 परिवारों में से कुल 737 परिवारों में 25 वर्ष से अधिक उम्र का साक्षर सदस्य नहीं है। इनमें सर्वाधिक 84 प्रतिशत झाबुआ जिले में और 70 प्रतिशत देवास जिले में हैं। रीवा सतना और अनूपपुर में ऐसे परिवारों का प्रतिशत 50 से 60 प्रतिशत के बीच है।

**7. भूमिहीन परिवार जिसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा आकस्मिक मजदूरी से आता है–**

अभाव सूचकों में शामिल 1708 परिवारों में से कुल 1183 परिवार ऐसे हैं, जो भूमिहीन हैं और उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा आकस्मिक मजदूरी से आता है। इसमें जहां धार, रीवा और झाबुआ में 98 प्रतिशत, देवास मे 88, दमोह में 84 और सतना में 80 प्रतिशत हैं।

## स्कोरिंग के अनुसार स्थिति

अभाव सूचकों में शामिल 1708 परिवारों की अभाव सूचकों के आधार पर स्कोरिंग करने पर परिवारों को निम्न अंक प्राप्त हुए हैं।

1. 7 अंक, सिर्फ 1 परिवार (0.1 प्रतिद्गत) को प्राप्त हुआ है। यह परिवार देवास जिले से है।

2. 6 अंक, कुल 26 परिवारों (1.5 प्रतिद्गत) को प्राप्त हुए हैं। इनमें सर्वाधिक 13 परिवार धार जिले से हैं जो कि आदिवासी बहुल है।

3. 5 अंक 168 (9.8 प्रतिद्गत) परिवारों को प्राप्त हुए हैं।

4. 4 अंक 414 (24.2 प्रतिद्गत) परिवारों को प्राप्त हुए हैं।

5. 3 अंक 369 (21.6 प्रतिद्गत) परिवारों को प्राप्त हुए हैं।

6. 2 अंक 379 (22.2 प्रतिद्गत) परिवारों को प्राप्त हुए हैं।

7. 1 अंक 287 (16.8 प्रतिद्गत)परिवारों को प्राप्त हुआ है।

8. 0 अंक 64 (3.7 प्रतिद्गत) परिवारों को प्राप्त हुए हैं।

0 अंक कुल 64 परिवारों को प्राप्त हुए हैं। इस सर्वे में इन परिवारों की स्थिति बहिष्कृत परिवारों के समान ही है। इनमें अधिकांद्गा परिवार पिछड़ा वर्ग से हैं इनके पास रहने का घर कच्चा हैं लेकिन वह एक कमरे से अधिक यानी 2 कमरे का है, जिसमें एक कमरा और 1 खाना बनाने का स्थान है। या इनके पास 1 या 2 एकड़ असिंचित जमीन है। जिससे परिवार को साल भर के लिए अनाज भी नहीं मिलता है। ये सभी परिवार मजदूरी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और पलायन करते हैं।

# जमीनी सच्चाईयां

**कमजोर, वंचित तबके पर सबसे तगड़ी चोट**

केंद्र के बीपीएल सूचकों के कारण जो 561 परिवार बाहर हो रहे हैं, उनमें 145 (24 फीसदी) ऐसे हैं जो एक कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं। वहीं 126 परिवारों में 16 से 59 साल का कोई सदस्य नहीं है, जबकि 115 परिवार महिला मुखिया वाले हैं। बहिष्कृत हुए 70 परिवारों में कोई सदस्य विकलांग है और बाकी सदस्यों में कोई भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। गरीबी रेखा से बाहर हो रहे परिवारों में 35 अनुसूचित जनजाति के हैं। साफ है कि केंद्र द्वारा तय बहिष्करण के सूचकों का सबसे ज्यादा कुप्रभाव समाज के सबसे कमजोर और वंचित तबके पर पड़ता नजर आ रहा है। अनूपपुर के कुल 48 बहिष्कृत परिवारों में से 37 एक कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं, जबकि 30 परिवारों में 16-59 साल का कोई सदस्य नहीं है। 23 परिवार महिला मुखिया वाले हैं। तीनों सूचकों को अभाव सूचकांक माना गया है, जो कि बीपीएल परिवारों की रैंकिंग के लिए तय किए गए हैं। लेकिन चूंकि ये परिवार पहले ही बहिष्करण के दायरे में आ गए हैं, इसलिए इन पर अभाव सूचकांक लागू नहीं होंगे।

भोपाल। मंडला जिले के बरखेड़ा गांव की आदिवासी विधवा प्रेमवती मरावी इस साल होने वाले गरीबी रेखा के सर्वे में बाहर हो जाएंगी। हालांकि प्रेमवती विकलांग है, लेकिन तीन एकड़ जमीन, इंदिरा आवास का मकान और परिवार में भाई के भी शामिल होने से केंद्र सरकार की नजर में वह गरीब नहीं है। वास्तविक गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करने जा रहे केंद्र सरकार के बीपीएल सर्वे के प्रारूप से प्रेमवती जैसे 21.4 फीसदी से ज्यादा परिवार राशन व अन्य सुविधाओं से वंचित होने की कगार पर होंगे।

**बहिष्करण बढ़ा : ८**

यह नतीजा सर्वे प्रारूप के आधार पर राज्य के 13 जिलों में हुए मॉक सर्वे में सामने आया है। सर्वे में 2621 परिवार शामिल किए गए थे, जिनमें से 561 परिवार गरीबी रेखा से बाहर हो रहे हैं। इससे पहले केंद्र ने 2010 में एक अपने इसी प्रारूप पर एक देशव्यापी पायलट सर्वे करवाया था, जिसमें 15 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से

बाहर हो गए थे। इससे साफ है कि दुपहिया वाहन और लैंडलाइन फोन जैसे नए सूचकों को जोड़ने से बहिष्करण बढ़ा है।

**ढाई एकड़ की मार :**

केंद्र सरकार ने बीपीएल की पहचान की प्रक्रिया में वंचितपन के 13 सूचक निर्धारित किए हैं। इनमें एक सूचक ढाई ढाई एकड़ से अधिक सिंचित जमीन और कम से कम एक कृषि उपकरण होने पर परिवार को अपने आप गरीबी की रेखा से बाहर मानने के बारे में है। मॉक सर्वे में इस सूचक के कारण सबसे ज्यादा 263 परिवार (43 प्रतिद्गात) गरीबी की रेखा से बाहर हुए हैं। आदिवासी बहुल देवास जिले में 72, दमोह में 63 और झाबुआ में 38 परिवार बाहर हो रहे हैं। सिवनी और अलीराजपुर में यह आंकड़ा क्रमद्गाः 21 और 18 है। राज्य सरकार ने आदिवासी इलाकों में किसानों को कृषि उपकरण और डीजल पंपसेट बांटे हैं। अब यही सरकारी सहायता इन किसानों को गरीबी रेखा से बाहर कर देगी। कन्हारीखुर्द गांव के अकल सिंह गोंड ने कुछ साल पहले डीजल पंपसेट खरीदा था। उस समय उनकी माली हालत ठीक थी, लेकिन अकल सिंह का आठ सदस्यीय परिवार तंगहाली में गुजर बसर कर रहा है। पंपसेट खराब होकर बंद पड़ा है और उसे सुधरवाने के पैसे भी नहीं है। घर में अकल सिंह और उसकी 59 वर्षीय पत्नी ही कमाने वाले हैं। पर अभाव सूचकांकों में एक अंक लेकर अंकल सिंह का परिवार गरीबी रेखा से बाहर होने के कगार पर खड़ा है।

**मैला ढोने वाले भी बाहर :**

बहिष्करण का दूसरा बड़ा सूचक परिवार में किसी सदस्य की सालाना आमदनी 10 हजार से इससे अधिक होने का है। इसके दायरे में आकर 109 परिवार गरीबी की रेखा से बाहर हो रहे हैं। बुंदेलखंड के पलायन प्रभावित दमोह जिले में सबसे ज्यादा 34, कुपोषण प्रभावित सीधी में 27 और अनूपपुर में 21 परिवारों को इस सूचक ने मॉक सर्वे में बाहर किया है। इसमें सिर पर मैला ढोने वाले भी हो सकते हैं। भले ही केंद्र के फॉर्मेट में इन्हें अनिवार्य रूप से शामिल करने की बात हो, पर अगर उनके परिवार की सालाना आय 10 हजार रु. से अधिक है तो वे बहिष्कार के दायरे में आ जाएंगे। बरखेड़ा निवासी विकलांग महिला ढमरे बाई तेकाम को ही लें, जो

पांच सदस्यीय परिवार की मुखिया हैं। आठ एकड़ जमीन है, पर खेती करने वाला कोई नहीं। लिहाजा जमीन बटाई पर दे रखी है, जिससे बहुत कम अनाज में गुजारा करना पड़ता है। एक से ज्यादा कमरों वाला मकान खस्ताहाल है। 16 वर्षीय बेटा अभी पढ़ता है। अगर ढमरे बाई गरीबी की रेखा से बाहर हुई तो न सिर्फ राशन, बल्कि उसे वृद्धावस्था पेंशन से भी वंचित होना पड़ेगा।

**किसान क्रेडिट कार्ड ने मारा :**

पचास हजार रु. से अधिक के किसान क्रेडिट कार्ड ने 93 परिवारों (15 प्रतिशत) को गरीबी रेखा से बाहर किया है। राज्य के 50 लाख से अधिक किसानों को शासन स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए हैं, ताकि उन्हें कृषि ऋणों के लिए बार-बार बैंक के चक्कर न काटने पड़ें। आगामी बीपीएल सर्वे में इन किसानों को गरीब नहीं माना जाएगा। दिलचस्प तथ्य यह है कि कर्जदारी और फसल खराब होने के कारण राज्य के करीब 1400 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर किसान ऐसे थे, जिनके पास कार्ड को छोड़कर घर में कुछ भी नहीं बचा। गांवों में मोबाइल नेटवर्क के अभाव को देखते हुए आकस्मिक स्थितियों में मदद बुलाने में लैंडलाइन फोन बड़े मददगार होते हैं। लेकिन रियायती दर पर उपलब्ध कराए गए इस लैंडलाइन फोन के कारण 77 परिवार गरीबी की रेखा से बाहर खड़े हो रहे हैं। दमोह में सबसे ज्यादा 20 परिवार इसके दायरे में आ रहे हैं। अलीराजपुर में सरदार सरोवर के डूब प्रभावित गांवों में कुछ घरों में लैंडलाइन फोन इसलिए उपलब्ध कराए गए हैं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से लोगों को मदद बुलाने में भारी दिक्कत होती है। केंद्र के सर्वे फॉर्मेट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोगों से लैंडलाइन फोन के उपयोग व उनकी जरूरत को समझा जा सके। मॉक सर्वे में 23 फीसदी से अधिक लोग दो, तीन या चार पहिया वाहन के कारण राशन कार्ड से वंचित हो रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन सुविधा के अभाव, स्कूल व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी, पास के कस्बे या शहर से दवाएं व अन्य जीवनरक्षक सामान लाने की मजबूरी के चलते ग्रामीण अपने पास दुपहिया वाहन रखते हैं। केंद्र के प्रस्तावित सर्वे में ऐसे परिवार भी बाहर हो रहे हैं।

**13 प्रतिशत अंदर, बाकी बाहर :**

मॉक सर्वे में बेघर, भीख मांगने वाले, सिर पर मैला ढोने वाले, आदिम जाति समूह और मुक्त करवाए गए बंधुआ मजदूर के रूप में 352 परिवार गरीबी रेखा की सूची में अनिवार्य रूप से शामिल हुए हैं। सर्वे में शामिल कुल परिवारों में इनका प्रतिनिधित्व 13.4 प्रतिशत है। अभाव सूचकों के आधार पर रैंकिंग के लिए कुल 65 प्रतिशत, यानी 1708 परिवार रैंकिंग के लिए शामिल किए गए।

इनमें 64 परिवार ऐसे थे, जिन पर गरीबी को आंकने वाले एक भी सूचक लागू नहीं हुए। गरीबी रेखा से बाहर नहीं होने से ये गरीब तो हैं, पर अभाव सूचकांकों के इन पर लागू नहीं होने के कारण इनकी स्थिति अधर में लटकती नजर आ रही है।

मंडला जिले के बरखेड़ा गांव में 18 परिवार ऐसे हैं, जिनका नाम बहिष्कृत और समावेश की दोनों सूचियों में नहीं है। ऐसे में इन पर एक भी सूचक लागू नहीं हो पा रहा है। खासकर इंदिरा आवास का मकान होने से परिवार के पास तीन कमरे हो गए हैं। महिला मुखिया वाले परिवार में यदि 16 साल का कोई पुरुष है तो वह बीपीएल सूची में नहीं आएगा। इसी तरह मुखिया के विकलांग होने पर परिवार में 26 साल के युवक या युवती की साक्षरता समूचे कुनबे को बीपीएल से बाहर कर देगी।

केंद्र द्वारा तय गरीबी रेखा के सूचकों में किस कदर विसंगतियां हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी परिवार में दूसरी तक पढ़ा कोई सदस्य हो और बाकी सब निरक्षर तो पूरे परिवार को साक्षर माना जाएगा। इसी तरह भूमिहीन को अभाव सूचकांक में एक अंक और आधा एकड़ भूमि के मालिक परिवार को शून्य अंक मिल रहे हैं।

# गरीबी की रेखा का सर्वेक्षण पर परिद्दिाष्ट

**ऐसी होगी केंद्र की बीपीएल सर्वे प्रकिया :**

12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों की गणना (बीपीएल जनगणना) का प्रस्ताव है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिलनी है। इस प्रस्ताव को डॉ.एन.सी.सक्सेना के द्वारा सुझाए गए तरीके के आधार पर तैयार किया गया है और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पायलट सर्वे के नतीजों के आधार पर इसे और परिष्कृत किया गया है।

- बीपीएल जनगणना का कार्य जातिगत जनगणना के साथ ही भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा और शहरी बीपीएल परिवारों की जनगणना का कार्य आवास और शहरी गरीबी उपद्दामन मंत्रालय द्वारा करने का सुझाव दिया गया था।
- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बी.पी.एल. जनगणना का संचालन किया जाएगा। इस जनगणना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अंत तक पूरी किया जाना प्रस्तावित है।

## <u>कार्यप्रणाली</u>

**परिवारों का वर्गीकरण तीन चरणों में किया जाएगा।**

4. पहला चरण : ऐसे परिवार जो गरीब नहीं हैं उनका स्वत: बहिष्करण यानी वे अपने आप गरीबी रेखा सूची से बाहर हो जाएंगे।
5. दूसरा चरण : अनिवार्य रूप से गरीबी रेखा सूची में शामिल किया जाना।

6. तीसरा चरण : शेष बचे हुए परिवारों की रैंकिंग अभाव सूचकों की संख्या के आधार पर की जाएगी और इनमें से गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाएगा।

# बहिष्करण के 13 सूचक (पहला चरण)

जिन परिवारों के पास निम्नलिखित में से कोई भी प्रकार की संपत्ति है तो वह परिवार अपने आप गरीबी रेखा सूची से बाहर हो जाएगा।

1. ऐसे परिवार जिनके पास दो, तीन या चार पहिया मोटर चालित वाहन (मोटर साइकल, ऑटो रिक्शा, जीप, कार, आदि) या मोटर चलित मछली पकड़ने की नाव है। यानी ऐसे वाहन जिनके पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) की जरूरत होती है।
2. ऐसे परिवार जिनके पास तीन या चार पहिया यंत्रचालित उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हारवेस्टर आदि में से कोई एक उपकरण हैं।
3. ऐसे परिवार जिनके पास 50,000 या अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड है।
4. ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है। वह राजपत्रित या अराजपत्रित या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्वायत्तशासी या स्थानीय निकाय में कर्मचारी है। **प्रोत्साहन या अन्य किसी प्रकार के मानदेय पर कार्य करने वाले कर्मचारी जैसे आशा, आंगनवाड़ी कर्मी इसमें शामिल नहीं हैं।**
5. ऐसा परिवार जिसके पास सरकार द्वारा पंजीकृत कोई उद्यम या जिसके पास केन्द्र या राज्य सरकार से पंजीकृत गैर कृषि उद्यम है।
6. ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य की आमदनी 10000 रूपए प्रतिमाह से अधिक है।
7. ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य आयकर (इन्कम टैक्स) या वृत्ति कर (प्रोफेशनल टैक्स) जमा करता है।

8. ऐसे परिवार जिनके पास 3 या अधिक कमरे का पक्की दीवारों और पक्की छत वाला मकान है।

9. ऐसा परिवार जिसके पास फ्रिज (रेफ्रिजरेटर) है।

10. ऐसा परिवार जिसके पास लैण्डलाइन फोन है।

11. ऐसा परिवार जिसके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन और **कम से कम एक सिंचाई उपकरण जैसे डीजल इंजन** या बिजली से चलने वाली मोटर या बोरवैल/ ट्यूब वैल है।

12. ऐसा परिवार जिसके पास पांच एकड़ या अधिक सिंचित जमीन है और वह वर्ष में 2 या अधिक फसलें लेता है।

13. ऐसा परिवार जिसके पास 7.5 एकड़ से ज्यादा जमीन और सिंचाई के साधनों में कम से कम एक डीजल इंजन या बिजली से चलने वाला बोरवेल या ट्यूबवैल है।

# गरीबी रेखा की सूची में अनिवार्य समावेक्ष के सूचक (दूसरा चरण)

1. बेघर
2. बेसहारा या भीख/दान पर निर्भर परिवार
3. मैला ढोने वाले परिवार
4. आदिम जाति समूह
5. कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर

# अभाव सूचकों के आधार पर शेष परिवारों की रैंकिंग (तीसरा चरण):

स्वत: बहिष्करण और अनिवार्य समावेक्ष्‍ा के बाद शेष बचे परिवारों की रैंकिंग अभाव सूचकों के आधार पर की जाएगी। जिन परिवारों के ज्यादा अंक होंगे उन्हें गरीबी रेखा सूची में शामिल किया जाएगा। निम्नलिखित अभाव सूचकों के आधार पर परिवारों को गरीबी रेखा सूची में शामिल किया जाएगा।

1. ऐसा परिवार जिसके पास एक कमरे का मकान है जिसकी दीवारें और छत कच्ची है।
2. ऐसा परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
3. महिला मुखिया वाला परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई वयस्क पुरुष नहीं है।
4. ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य विकलांग है और परिवार में अन्य कोई शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है।
5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार।
6. ऐसा परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
7. भूमिहीन परिवार जिसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा आकस्मिक मजदूरी से आता है।

**समावेश की प्राथमिकता:**

- जो परिवार स्वत: समावेक्ष्‍ा के योग्य हैं, उन्हें गरीबी रेखा सूची में शामिल करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

- अभाव सूचकों के आधार पर योग्य परिवारों की रैंकिग करने के लिए हर परिवार को अभाव सूचकों के आधार पर अंक दिए जाएंगे और जिन परिवारों को ज्यादा अंक मिलेंगे उन्हें गरीबी रेखा सूची में शामिल होने की पात्रता अधिक होगी। रैंकिग के लिए यह स्कोर कम से कम 0 और अधिकतम 7 अंक होगा।
- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए अनिवार्य समावेद्गा वाले परिवारों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अभाव सूचकों के अंतर्गत अधिक अंक (स्कोर) प्राप्त करने वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा।
- ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जिनको लागू करने के लिए यूनीवर्सल कवरेज की अनुमति नहीं है, उनके लिए योजना आयोग द्वारा सुझाई गई गरीबी की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए तंत्र द्वारा परिवारों को रैंकिग के आधार पर प्राथमिकता के क्रम में शामिल किया जाएगा। अभाव सूचकों का कट ऑफ इस तरह से चुना जाएगा कि कुल परिवारों का प्रतिद्गात योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी सूचकांक से कम या बराबर होगा।

योजना आयोग द्वारा निर्धारित परिवारों की संख्या और अभाव संकेतकों के आधार पर कट आफ विधि द्वारा प्राप्त परिवारों की संख्या में यदि कोई अंतर आए तो, ऐसी स्थिति में अभाव सूचकांक के कट आफ से एक अंक कम प्राप्त करने वाले परिवार को उस पंचायत से चिन्हित किया जाएगा जिनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है। इस हेतु राज्य द्वारा पंचायतों की सूची अनुसूचित जाति / जनजाति की जनसंख्या के आधार पर घटते हुए क्रम में तैयार की जाएगी। इस विधि के द्वारा जरूरत के किसी भी कट ऑफ पर पहुंचा जा सकता है।

# मॉक सर्वे में निकले वंचितपन के और मामले

## अलीराजपुर जिला

- लाइलाज सिलिकोसिस से पीड़ित 27 परिवार गरीबी की रेखा से बाहर

**अलीराजपुर** जिले के ग्राम रोड़धा में 115 परिवार का सर्वे हुआ। इनमें से 27 परिवार सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं। ये वे मजदूर हैं, जो रोजगार की तलाक्ष में गुजरात पलायन करते हैं। मॉक सर्वे में ये 27 परिवार गरीबी रेखा से बाहर हो गए। इसकी वजहों में सिलिकोसिस पीड़ित के 2 कमरे होने, मोटर साइकल होने व खेती के लिए सिंचाई उपकरण होना प्रमुख कारण हैं। सूची में शामिल हो रहे परिवारों की संख्या नौ है।

## सिवनी जिला

ग्राम जनावरखेड़ा निवासी द्विवनाथ की उम्र 47 वर्ष और जाति महार बौद्व हैं। द्विवनाथ के परिवार में 3 सदस्य हैं। द्विवनाथ और उसका बेटा दैनिक मजदूरी करता है। परिवार के पास 1 एकड़ जमीन है। द्विवनाथ की पत्नी वर्ष 2009 से आंगनबाड़ी सहायिका हैं। द्विवनाथ के परिवार ने मजदूरी कर मोटर साईकिल खरीदी हैं, जिससे जरूरत पर यह काम आ सके। अब द्विवनाथ का परिवार गरीबी रेखा से बाहर हो जायेगा क्योंकि उसने एक-एक रूपये जोड़कर मोटर साईकिल खरीद ली हैं।

### गरीब से बनेंगे अमीर

नाम-रामा, ग्राम-बरेलीपार, पंचायत-विजयपानी, जनपद-कुरई, जिला-सिवनी।

वर्तमान स्थिति- बी.पी.एल. परिवार है। 2 एकड़ भूमि है। सिंचाई के लिए डीजल पंपसेट है। परिवार पलायन करता हैं। रामा मजदूरी करता है। डीजल

पंपसेट के कारण यह परिवार स्वत: बहिस्कृत की सूची में आ गया है, हालांकि अभाव सूचकों में अधिकतम 2 अंक मिले हैं।

और यह हैं

आंकड़े!

# चरण एक – बहिष्करण

## टेबल 1

## बहिष्करण के आधार और संख्या

| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | कोड | जिला | कुल बहिष्कृत परिवार | 2/3/4 पहिया मोटर चालित वाहन | 3/4 पहिया यांत्रिक कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हारवेस्टर | 50,000 रु. से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड | सरकारी नौकरी, केन्द्र या राज्य का उपक्रम या स्थानीय निकाय | केन्द्र/राज्य सरकार से पंजीकृत गैर कृषि उद्यम | परिवार में किसी की आमदनी 10,000 या अधिक | आयकर या वृत्तिकर जमा करते हैं | 3 या अधिक कमरे का पक्की दीवारों और पक्की छत वाला मकान | फ्रिज (रेफ्रिजरेटर) | लैंडलाइन फोन | 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन और कम से कम एक सिंचाई उपकरण | 5 एकड़ या अधिक सिंचित जमीन जिससे वर्ष में दो फसलें लेता है। | 7.5 एकड़ से ज्यादा जमीन और कम से कम एक सिंचाई साधन |
| 1 | 1 | धार | 31 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | देवास | 151 | 42 | 31 | 50 | 1 | 0 | 7 | 0 | 32 | 2 | 12 | 62 | 58 | 26 |
| 3 | 3 | सिवनी | 54 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 21 | 11 | 1 |
| 4 | 4 | खण्डवा | 37 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 |
| 5 | 5 | रीवा | 18 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | मण्डला | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | डिंडोरी | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | झाबुआ | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 4 | 0 |
| 9 | 9 | दमोह | 95 | 14 | 15 | 14 | 3 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 20 | 63 | 20 | 19 |
| 10 | 10 | अलीराजपुर | 28 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | अनूपपुर | 48 | 24 | 4 | 8 | 24 | 2 | 21 | 20 | 13 | 2 | **2** | 13 | 3 | 5 |
| 12 | 12 | सतना | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | 13 | सीधी | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| | | कुल योग | 561 | 136 | 57 | 93 | 48 | 4 | 109 | 27 | 85 | 9 | 64 | 263 | 106 | 54 |

# टेबल 2

# बहिष्करण के आधार और प्रतिशत में

| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | कोड | जिला | कुल बहिष्कृत परिवार | 2/3/4 पहिया मोटर चालित वाहन | 3/4 पहिया यांत्रिक कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेढ़ार, हारवेस्टर | 50,000 रु. से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड | सरकारी नौकरी, केन्द्र या राज्य का उपक्रम या स्थानीय निकाय | केन्द्र/राज्य सरकार से पंजीकृत गैर कृषि उद्यम | परिवार में किसी की आमदनी 10,000 या अधिक | आयकर या वृत्तिकर जमा करते हैं | 3 या अधिक कमरे का पक्की दीवारों और पक्की छत वाला मकान | फ्रिज (रेफ्रिजरेटर) | लैंडलाइन फोन | 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन और कम से कम एक सिंचाई उपकरण | 5 एकड़ या अधिक सिंचित जमीन जिससे वर्ष में दो फसलें लेता है। | 7.5 एकड़ से ज्यादा जमीन और कम से कम एक सिंचाई साधन |
| 1 | 1 | धार | 31 | 32ण3ः | 9ण7ः | 3ण2ः | 6ण5ः | | | | 12ण9ः | 6ण5ः | 25ण8ः | 22ण6ः | | 3ण2ः |
| 2 | 2 | देवास | 151 | 27ण8ः | 20ण5ः | 33ण1ः | 0ण7ः | | 4ण6ः | | 21ण2ः | 1ण3ः | 7ण9ः | 41ण1ः | 38ण4ः | 17ण2ः |
| 3 | 3 | सिवनी | 54 | 31ण5ः | 1ण9ः | 3ण7ः | 1ण9ः | 1ण9ः | 1ण9ः | | 3ण7ः | 1ण9ः | 16ण7ः | 38ण9ः | 20ण4ः | 1ण9ः |
| 4 | 4 | खण्डवा | 37 | 16ण2ः | 2ण7ः | 43ण2ः | 2ण7ः | | 2ण7ः | | 5ण4ः | | 2ण7ः | 35ण1ः | 16ण2ः | 5ण4ः |
| 5 | 5 | रीवा | 18 | 22ण2ः | | 11ण1ः | 44ण4ः | 5ण6ः | 77ण8ः | 33ण3ः | 16ण7ः | | 22ण2ः | 38ण9ः | 11ण1ः | |
| 6 | 6 | मण्डला | 1 | | | | | | | | | | 100ण0ः | | | |
| 7 | 7 | डिंडोरी | 8 | 25ण0ः | | | 37ण5ः | | | 12ण5ः | | 25ण0ः | | | | |
| 8 | 8 | झाबुआ | 45 | 6ण7ः | 2ण2ः | | | | 2ण2ः | | | | 4ण4ः | 84ण4ः | 8ण9ः | |
| 9 | 9 | दमोह | 95 | 14ण7ः | 15ण8ः | 14ण7ः | 3ण2ः | | 35ण8ः | | 29ण5ः | | 21ण1ः | 66ण3ः | 21ण1ः | 20ण0ः |
| 10 | 10 | अलीराजपुर | 28 | 46ण4ः | 3ण6ः | | 3ण6ः | | | | 3ण6ः | | | 64ण3ः | | |
| 11 | 11 | अनूपपुर | 48 | 50ण0ः | 8ण3ः | 16ण7ः | 50ण0ः | 4ण2ः | 43ण8ः | 41ण7ः | 27ण1ः | 4ण2ः | 4ण2ः | 27ण1ः | 6ण3ः | 10ण4ः |
| 12 | 12 | सतना | 14 | 7ण1ः | | | 28ण6ः | | 21ण4ः | | | | 21ण4ः | 35ण7ः | 7ण1ः | |
| 13 | 13 | सीधी | 31 | | | | | | 87ण1ः | | | | 6ण5ः | 19ण4ः | 3ण2ः | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **कुल योग** | **561** | **24ण2ः** | **10ण2ः** | **16ण6ः** | **8ण6ः** | **0ण7ः** | **19ण4ः** | **4ण8ः** | **15ण2ः** | **1ण6ः** | **11ण4ः** | **46ण9ः** | **18ण9ः** | **9ण6ः** |

# चरण दो – समावेशीकरण

## टेबल – 1

## गरीबी रेखा सूची में अनिवार्य रूप से शामिल हुए परिवार

| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | कोड | जिला | कुल परिवार | जिनके पास रहने को घर नहीं है | प्रतिशत | बेसहारा भीख या दान पर निर्भर परिवार | प्रतिशत | मैला ढोने वाले परिवार | प्रतिशत | आदिम जनजाति समूह | प्रतिशत | कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर | प्रतिशत |
| 1 | 10 | धार | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 2 | 11 | देवास | 61 | 61 | 100ण0: | 2 | 3ण3: | 0 | | 0 | | | |
| 3 | 13 | सिवनी | 28 | 28 | 100ण0: | 0 | | 0 | | 1 | 3ण6: | | |
| 4 | 14 | खण्डवा | 13 | 13 | 100ण0: | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 5 | 16 | रीवा | 58 | 58 | 100ण0: | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 6 | 17 | मण्डला | 77 | 77 | 100ण0: | 1 | 1ण3: | 0 | | 68 | 88ण3: | 4 | 5ण2: |
| 7 | 18 | डिंडोरी | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 8 | 21 | झाबुआ | 2 | 2 | 100ण0: | 1 | 50ण0: | 0 | | 0 | | | |
| 9 | 23 | दमोह | 18 | 18 | 100ण0: | 16 | 88ण9: | 1 | 5ण6: | 1 | 5ण6: | 1 | 5ण6: |
| 10 | 24 | अलीराजपुर | 5 | 5 | 100ण0: | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 11 | 25 | अनूपपुर | 15 | 15 | 100ण0: | 5 | 33ण3: | 0 | | 2 | 13ण3: | | |
| 12 | 26 | सतना | 6 | 6 | 100ण0: | 5 | 83ण3: | 0 | | 0 | | | |
| 13 | 27 | सीधी | 69 | 69 | 100ण0: | 1 | 1ण4: | 1 | 1ण4: | 68 | 98ण6: | 2 | 2ण9: |
| | | **कुल योग** | **352** | **352** | **100ण0:** | **31** | **8ण8:** | **2** | **0ण6:** | **140** | **39ण8:** | **7** | **2ण0:** |

# टेबल–2
## सूचकों की बारंबारता के आधार पर शामिल हुए परिवार

| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.** | **कोड** | **जिला** | **कुल परिवार** | **1 सूचक** | **2 सूचक** | **3 सूचक** | **4 सूचक** | **5 सूचक** |
| 1 | 10 | धार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | देवास | 61 | 59 | 2 | | | |
| 3 | 13 | सिवनी | 28 | 28 | 0 | | | |
| 4 | 14 | खण्डवा | 13 | 13 | 0 | | | |
| 5 | 16 | रीवा | 58 | 58 | 0 | | | |
| 6 | 17 | मण्डला | 77 | 75 | 2 | | | |
| 7 | 18 | डिंडोरी | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | 21 | झाबुआ | 2 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 23 | दमोह | 18 | 14 | 3 | | | 1 |
| 10 | 24 | अलीराजपुर | 5 | 5 | 0 | | | |
| 11 | 25 | अनूपपुर | 15 | 13 | 2 | | | |
| 12 | 26 | सतना | 6 | 5 | 1 | | | |
| 13 | 27 | सीधी | 69 | 0 | 68 | | 1 | |
| | | **कुल योग** | **352** | **271** | **79** | | **1** | **1** |

# टेबल 3

## सूचकों की बारंबारता के आधार पर शामिल हुए परिवार – प्रतिशत में

| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | कोड | जिला | | 1 सूचक | 2 सूचक | 3 सूचक | 4 सूचक | 5 सूचक |
| 1 | 10 | धार | 0 | | | | | |
| 2 | 11 | देवास | 61 | 96ण्7: | 3ण्3: | | | |
| 3 | 13 | सिवनी | 28 | 100ण्0: | | | | |
| 4 | 14 | खण्डवा | 13 | 100ण्0: | | | | |
| 5 | 16 | रीवा | 58 | 100ण्0: | | | | |
| 6 | 17 | मण्डला | 77 | 97ण्4: | 2ण्6: | | | |
| 7 | 18 | डिंडोरी | 0 | | | | | |
| 8 | 21 | झाबुआ | 2 | 50ण्0: | 50ण्0: | | | |
| 9 | 23 | दमोह | 18 | 77ण्8: | 16ण्7: | | | 5ण्6: |
| 10 | 24 | अलीराजपुर | 5 | 100ण्0: | | | | |
| 11 | 25 | अनूपपुर | 15 | 86ण्7: | 13ण्3: | | | |
| 12 | 26 | सतना | 6 | 83ण्3: | 16ण्7: | | | |
| 13 | 27 | सीधी | 69 | | 98ण्6: | | 1ण्4: | |
| | | **कुल योग** | **352** | **77ण्0:** | **22ण्4:** | | **0ण्3:** | **0ण्3:** |

# चरण तीन – अभाव के सूचकांक

## टेबल 1
## अभाव के सूचकांकों में शामिल परिवार

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | जिला | कुल परिवार | एक कमरे का मकान जिसकी दीवारें और छत कच्ची है। | 16 से 59 वर्ष का कोई सदस्य नहीं है। | महिला मुखिया वाला परिवार जिसमें 16-59 वर्ष की उम्र का कोई पुरूष नहीं | कोई सदस्य विकलांग और परिवार में अन्य कोई शारीरिक रूप से सक्षम सदस्य नहीं है। | अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार | 25 वर्ष से अधिक का साक्षर सदस्य नहीं | भूमिहीन परिवार जिसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा आकस्मिक मजदूरी से आता है। | वे परिवार जो किसी सूचक में शामिल नहीं हुए |
| 1 | अलीराजपुर | 84 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | |
| 2 | अनूपपुर | 198 | 69 | 35 | 17 | 5 | 89 | 80 | 103 | 5 |
| 3 | दमोह | 183 | 62 | 27 | 13 | 6 | 94 | 84 | 154 | 11 |
| 4 | देवास | 86 | 85 | 29 | 11 | 6 | 4 | 60 | 76 | |
| 5 | धार | 223 | 223 | 9 | 8 | 23 | 222 | 77 | 222 | |
| 6 | डिंडोरी | 85 | 29 | 7 | 5 | 1 | 41 | 10 | 56 | 10 |
| 7 | झाबुआ | 115 | 112 | 8 | 4 | 9 | 114 | 97 | 113 | |
| 8 | खण्डवा | 160 | 89 | 0 | 1 | 0 | 153 | 72 | 93 | 1 |
| 9 | मण्डला | 102 | 8 | 1 | 4 | 6 | 59 | 31 | 8 | 30 |
| 10 | रीवा | 123 | 123 | 66 | 4 | 2 | 117 | 63 | 120 | |
| 11 | सतना | 249 | 147 | 13 | 11 | 1 | 197 | 134 | 200 | 4 |
| 12 | सिवनी | 100 | 24 | 6 | 5 | 2 | 89 | 29 | 37 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | सीधी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **कुल योग** | **1708** | **998** | **201** | **83** | **61** | **1263** | **737** | **1183** | **64** |

# टेबल 2
# अभाव के सूचकांकों की स्कोरिंग

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | कोड | कुल परिवार | एक कमरे का मकान जिसकी दीवारें और छत कच्ची है। | 16 से 59 वर्ष का कोई सदस्य नहीं है। | महिला मुखिया वाला परिवार जिसमें 16-59 वर्ष की उम्र का कोई पुरूष नहीं | कोई सदस्य विकलांग और परिवार में अन्य कोई शारीरिक रूप से सक्षम सदस्य नहीं है। | अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार | 25 वर्ष से अधिक का साक्षर सदस्य नहीं | भूमिहीन परिवार जिसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा आकस्मिक मजदूरी से आता है। | वे परिवार जो किसी सूचक में शामिल नहीं हुए |
| 1 | अलीराजपुर | 84 | 32: | 0: | 0: | 0: | 100: | 0: | 1: | 0: |
| 2 | अनूपपुर | 198 | 48: | 24: | 12: | 3: | 62: | 56: | 72: | 3: |
| 3 | दमोह | 183 | 34: | 15: | 7: | 3: | 51: | 46: | 84: | 6: |
| 4 | देवास | 86 | 99: | 34: | 13: | 7: | 5: | 70: | 88: | 0: |
| 5 | धार | 223 | 100: | 4: | 4: | 10: | 100: | 35: | 100: | 0: |
| 6 | डिंडोरी | 85 | 34: | 8: | 6: | 1: | 48: | 12: | 66: | 12: |
| 7 | झाबुआ | 115 | 97: | 7: | 3: | 8: | 99: | 84: | 98: | 0: |
| 8 | खण्डवा | 160 | 56: | 0: | 1: | 0: | 96: | 45: | 58: | 1: |
| 9 | मण्डला | 102 | 8: | 1: | 4: | 6: | 58: | 30: | 8: | 29: |
| 10 | रीवा | 123 | 100: | 54: | 3: | 2: | 95: | 51: | 98: | 0: |
| 11 | सतना | 249 | 59: | 5: | 4: | 0: | 79: | 54: | 80: | 2: |
| 12 | सिवनी | 100 | 24: | 6: | 5: | 2: | 89: | 29: | 37: | 3: |
| 13 | सीधी | 0 | | | | | | | | |
| | **कुल योग** | **1708** | **58:** | **12:** | **5:** | **4:** | **74:** | **43:** | **69:** | **4:** |

# टेबल 3

## अभाव के सूचकांकों की बारंबारता की स्कोरिंग – प्रतिशत में

| क्र. | जिला | कुल परिवार | 7 अंक प्राप्त करने वाले परिवार | 6 अंक प्राप्त करने वाले परिवार | 5 अंक प्राप्त करने वाले परिवार | 4 अंक प्राप्त करने वाले परिवार | 3 अंक प्राप्त करने वाले परिवार | 2 अंक प्राप्त करने वाले परिवार | 1 अंक प्राप्त करने वाले परिवार | 0 अंक प्राप्त करने वाले परिवार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अलीराजपुर | 84 | | | | | | 33: | 67: | |
| 2 | अनूपपुर | 198 | | 3: | 5: | 15: | 20: | 15: | 13: | 3: |
| 3 | दमोह | 183 | | | 3: | 12: | 30: | 38: | 11: | 6: |
| 4 | देवास | 86 | 1: | 3: | 3: | 23: | 42: | 23: | 3: | |
| 5 | धार | 223 | | 6: | 35: | 56: | 3: | 0: | 0: | |
| 6 | डिंडोरी | 85 | | | 4: | 4: | 15: | 32: | 34: | 12: |
| 7 | झाबुआ | 115 | | 1: | 13: | 69: | 17: | | | |
| 8 | खण्डवा | 160 | | | 1: | 22: | 29: | 29: | 19: | 1: |
| 9 | मण्डला | 102 | | | 4: | | 4: | 21: | 42: | 29: |
| 10 | रीवा | 123 | | 1: | 33: | 34: | 31: | 1: | | |
| 11 | सतना | 249 | | 1: | 2: | 22: | 39: | 27: | 8: | 2: |
| 12 | सिवनी | 100 | | | 2: | 5: | 14: | 44: | 32: | 3: |
| 13 | सीधी | 0 | | | | | | | | |
| | **कुल योग** | **1708** | | **2:** | **10:** | **24:** | **22:** | **21:** | **15:** | **4:** |

2550542 2420176